



Neutral Citation No. - 2026:AHC:51027-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका संख्या - 30824/2014

डॉ. भीम राव अंबेडकर कल्याण समिति

----- याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

----- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अर्चना सिंह

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : ए.एस. चतुर्वेदी, असगी-2014/9813, जगदीश पाठक,
स्थायी अधिवक्ता,

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली,

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र,

1. इस मामले को 'इस उच्च न्यायालय में सबसे पुराने लंबित मामलों' की श्रेणी में प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
2. याचिकाकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
3. जनहित में याचिकाकर्ता-सोसायटी द्वारा यह याचिका पीड़ित मुआवजा योजना बनाने हेतु आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को लागू करने की मांग करते हुए दायर की गई है।
4. पीड़ित मुआवजा योजना बनाने संबंधी दिनांक 09.04.2014 की अधिसूचना युक्त अनुलग्नक सीए-1 के साथ प्रतिवाद हलफनामा दायर किया गया है।
5. इस तथ्य को देखते हुए कि याचिका में उठाई गई दलील को राज्य द्वारा पहले ही स्वीकार कर लिया गया है, याचिका निष्प्रभावी हो गई है। अतः इसे निष्प्रभावी मानकर खारिज किया जाता है।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश)

12 मार्च, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।